


# भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 321915

“ प्ररूप 26 ”

(नियम 4 का देखिए)

10 देवप्रयाग निवाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड विधान सभा के लिये निर्वाचन के लिये, रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।

शपथ-पत्र

मैं, शूरवीर सिंह सजवाण पुत्र श्री स्वच्छी मोर सिंह सजवाण  
 आयु- 62 वर्ष वर्ष, जो ग्राम- पंचूर पट्टी- पौडीराल  
 तहसील- जगतगढ़

द्वार जिला- टिहरी गढ़वाल का निवासी हूँ, का निवासी हूँ  
 और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ पर  
 निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

- i- मैं ऐसे किसी लम्बित मामलें में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया है/किए गये हैं- लागू नहीं होता कोड अपराध (यदि अभिसारी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है, तो वह कोड अपराध निम्नलिखित तानकारी प्रस्तुत करेगा) : लागू नहीं होता
- i- मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं- लागू नहीं होता
- ii- पुलिस थाना- लागू नहीं होता, जिला- लागू नहीं होता राज्य- X

क्रमशः-2-पर

*(Handwritten signature)*

- iii- सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है- लागू नहीं होता।
- iv- न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई- लागू नहीं होता।
- v- तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किए गये थे- लागू नहीं होता।
- vi- क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है- लागू नहीं होता।
- 2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951) (1951 का 43) की धारा-8 की उपधारा (1) या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, और वर्ष या अधिक वें लिये कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है। लागू नहीं होता। (यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :
- i- मामला / प्रथम विरचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं- लागू नहीं होता।
- ii- न्यायालय, जिसमें दण्डित किया है- लागू नहीं होता।
- iii- पुलिस थाना (थानों)- जिला (जिलों)- राज्य- लागू नहीं होता।
- iv- सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है- लागू नहीं होता।
- v- तारीख (तारीखें) जिनको आरोप दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गये थे-लागू नहीं होता।
- vi- क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गये हैं- लागू नहीं होता।

स्थान- न: टिहरी।  
तारीख- 10-1-2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर


सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ के अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है, और कोई तात्विक बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान नई टिहरी

दिनांक- 10-1-2012 को सत्यापित किया।

Proposed by...  
B/o...  
Certified by...



Handwritten signature and name 'श्रीमान'.